**बिहार सरकार**

*मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग*

# विज्ञापन

## - :: वाहन चालक की संविदा के आधार पर नियोजन ::-

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2804, दिनांक-29.03.2010 एवं कार्यालय आदेश संख्या-3, दिनांक-12.01.2011 के प्रावधान के तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त दो वाहन चालकों को संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु आमंत्रित किये गये पूर्व के विज्ञापन को अपरिहार्य कारण वस रद्द किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परिपत्र के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त तीन वाहन चालकों (सामान्य कोटि -2, अत्यन्त पिछड़ वर्ग-1,) की संविदा के आधार नियोजन हेतु निम्न शर्त्तों के अधिन आवदेन पत्र पुनः आमत्रित किये जाने है :-

01. उम्मीदवार की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए संविदा पर की जायगी तथा आवश्यकतानुसार एवं सेवा संतोषप्रद होने पर इनका सेवा विस्तार किया जा सकेगा।

02. उम्मीदवारों की आयु दिनांक-01.06.2013 को अधिकतम 65 वर्ष से कम होना चाहिए।

03. उम्मीदवार को शारीरिक रूप से स्वस्थ्य रहना चाहिए।

04. नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेगें तथा सरकारी सेवक को मिलने वाली सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे।

05. संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभयपक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुस्त देकर नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

06. नियोजित व्यक्ति का सेवानिवृत्त के समय प्राप्त अंतिम वेतन में से प्राप्त पेंशन की राशि घटाकर जो राशि शेष होगी वहीं राशि पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

07. इच्छुक उम्मीदवार अपना नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्त की तिथि, सेवानिवृत्त के समय विभाग का नाम, स्थाई पता, पत्राचार का पता, हाल का एक अभिप्रमाणित फोटो चिपकाते हुए आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर जिला पदाधिकारी का कार्यालय पटना को हार्थो-हाथ अथवा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं।

08. इसकी सूचना विभागीय बेवसाईट www.csd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/-

**(बिनोद प्रसाद सिंह)**

सरकार के अपर सचिव